अध्यक्ष महोदय : तुलमोहन राम भी कहीं नहीं जाएंगे, हम भी कहीं नहीं जाएंगे। इस पर होगी चर्चा।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I would like to make a submission.

MR. SPEAKER : I am sorry, Mr. Banerjee.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I want your guidance, not in regard to this particular matter, but, about such cases, where *prima facie* cases have been established. In the case of Shri Tulmohan Ram, it has come in the newspapers. It is going to come again tomorrow or the day after. There is another case in regard to Shri Ramnath Goenka, where also a *prima facie* case has been established. Similar is the case of Shrimati Gayatri Devi. All the three, Shri Tulmohan Ram, Shri Ramnath Goenka and Shrimati Gayatri Devi should be suspended.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Sir, when is the motion about the Leader of the House coming up ?

MR. SPEAKER : I do not know. It is for the Business Advisory Committee to decide. Now, I have to make an announcement. The Prime Minister will make a statement on Shri Morarji Desai's fast at the end of the day, at 6 p. m.

12.09 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 1975

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : I beg to lay on the Table : a copy of the Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 1975 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 438 in Gazette of India dated the 5th April, 1975, under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944 [*Placed in Library See No. LT*—9416/75)

Statement Explaining Delay in Laying on the Table Certain Notifications

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDA BRATA BARUA) : I beg to lay on the Table a statement (Hindi and English versions) giving reasons for delay in laying Notification Nos. G. S. R. 43 (E) dated the 3rd February, 1975, G. S. R 52 (E) dated the 20th February, 1975 and G. S. R. 137 (E) dated the 1st, March, 1975. [*Placed in Library See No. LT*—9417/75.]

12.10 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Burning of Houses of Harijans and Murder of their Children in Navada, Bihar

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनिय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ;

"बिहार के नवादा जिले में हरिजनों के साठ मकानों के जलाये जाने तथा उन के तीन बच्चों की हत्या किये जाने का समाचार"

SHRI SAMAR GUHA (CONTAI) : I had writen to you; if you allow me half a minute I shall make a submission. There had recently been several cases of atrocities committed on Harijans women in Purulia area. It had been given wide coverage in the West Bengal papers. The matter had been agitated in West Bengal Assembly also. If you do not want to include my name, will the hon. Minister enlighten the House as to what actually happened there.

MR. SPEAKER : I received the communication from you only this morning. The agenda had already been printed and the selection of speakers had already been made.

SHRI SAMAR GUHA : Without including my name the hon. Minister can enlighten us.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Normally five names are allowed; today there are only three names; you can include my name and his name.

MR. SPEAKER : I am sometimes happy there are less names because time will be given to other matters.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : महोदय, सरकार ने 10 अप्रैल 1975 के 'इन्डियन नेशन' मे प्रकाशित समाचार देखा है जिसमें कुछ अग्निकांड का उल्लेख है जो पिछले कुछ दिनों में बिहार राज्य के कुछ गांवों में हुआ बताया जाता है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ यह बताया गया है कि गोविन्दपुर थाने के क्षेत्र में भट्टियां गांव में दो महिलाएं जिन्दा जल गई थीं।

बिहार सरकार से यह मालूम हुआ है कि 8 अप्रैल, 1975 को नवादा जिले में गोविन्दपुर पुलिस थान के भट्टियां गांव में एक हरिजन बस्ती में आग लग गई थी जिसमें दो हरिजन महिलायें मर गई। पुलिस की जांच से पता चला है कि यह एक आकस्मिक अग्निकांड था। आग से हुई क्षति के बारे में हम राज्य सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको सुझाव दिया गया कि आग से पीड़ित लोगों को तुरन्त पर्याप्त राहत दी जाय इस संबंध में और जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है दोनो में विरोधाभास है। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसे आप ने और सरकार ने स्वीकार किया है वह यह है कि बिहार के नवादा जिले में हरिजनों के 60 मकानों के जलाये जाने तथा उन के तीन बच्चों की हत्या किये जाने का समाचार सरकारी उत्तर है। 10 अप्रैल, 1975 के "इंडियन नेशन' में प्रकाशित समाचार के बारे में जो पिछले कुछ दिनों में बिहार राज्य के कुछ गांवों में आग लगाने की घटनायें हुई हैं। और इस के साथ-साथ महिलाओं के जलने की बात दी गई है सरकारी रिपोर्ट में और यह भी बताया गया है की गोविन्दपुर थाने के क्षेत्र में भटिया गांव में दो महिलायें जिन्दा जल गई थीं। जब कि मैं ने भटिया गांव का जिक्र भी नहीं किया है, 'इंडियन नेशन' का जिक्र भी मैं ने नहीं किया है। और आप ने जो स्वीकार किया है उस में मैं ने लिखा है कि 60 मकानों के जलाये जाने तथा उन के तीन बच्चों की हत्या किये जाने का समाचार।

अब मैं आप के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मैं ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था वह 'इंडियन नेशन' के समाचार के आधार पर नहीं दिया था। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्योंकि अमूमन इस सदन में समाचार–पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टस् के आधार पर ही दिये जाते रहे हैं, 'नव–भारत टाइम्स' के प्रथम पृष्ठ पर 11 अप्रैल 1975 को एक समाचार आया था कि हरिजनों की 60 घर व तीन बच्चे जला दिये गये। जल गये और जला दिये गये, इन दोनों में बहुत अन्तर है। जल जाना एक प्राकृतिक विपदा हो सकती है, लेकिन जलाया जाना एक अमानुषिक काम है। इसलिये मैं ने जलाये जाने का प्रस्ताव दिया था, और आप ने उस को स्वीकार किया। लेकिन मंत्री महोदय ने उत्तर जल जाने के संबंध में दिया है। 11 अप्रैल 1975 के "नवभारत टाइम्स" में मुख–पृष्ठ पर यह खबर आयी थी : "हसुआ (नवादा) 10 अप्रैल, (भा) यहां से तीस किलोमीटर दूर पसोरग्राम में भीषण अग्निकांड में हरिजनों के साठ घरों के जलने तथा तीन बच्चों के जल कर मरने का समाचार प्राप्त हुआ है"। लेकिन इस से जो गम्भीर बात है वह आप ध्यानपूर्वक सुनें। "बताया गया है कि कुछ युवकों ने एक हरिजन युवती के साथ बलात्कार करना चाहा परन्तु युवती द्वारा शोर मचाने तथा हरिजनों द्वारा घोर विरोध करने के बाद युवकों ने बंदूकें दिखा कर हरिजनों के घरों में आग लगा दी तथा तीन बच्चों को आग की लपेटों में उठा कर फेंक दिया"। "इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है।' मैं ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसी संबंध में दिय

[श्री शंकर दयाल सिंह]

है। जहां तक आप ने 10 अप्रैल 1975 के 'इंडियन नेशन' का जिक्र किया है उस में दूसरा ही समाचार छपा है six persons were burnt alive यह बिल्कुल दूसरा है और नवादा जिले की कोई चर्चा नहीं है। यह तो छपरा और सारन जिले की बात लिखी गई है। दोनों में विरोधाभास है। इसलिये जब कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पूछा जाय बिहार के बारे में और उत्तर मिले मध्य प्रदेश के बारे में तो कैसे हम शांत रह सकते है? मैं मानता हू कि हमारे गृह उप-मंत्री जो बौद्धिक है और क्षमता वाले है, मैं उन से निवेदन करूंगा कि यहां जो समाचारों में अन्तर है इस की ओर आप ध्यान दें, और मैं ने जल गये की ओर ध्यानाकर्षित नहीं किया है, बल्कि जला दिये गये हैं कि ओर आकृष्ट किया है। बिहार के 'आर्यावर्त' अखबार में इस घटना के बारे मे जो समाचार आया है उस में यह कहा गया है कि अभी तक सहायता कार्य शुरु नही किये जाने से भारी कठिनाइया हो रही है। मैं कोट कर रहा हूं "आर्यावर्त" अखबार से :

". . .अभी तक सहायता कार्य शुरु नहीं किये जाने से भारी कठिनाइया हो रही हैं। आग लगने के कारणो का भी पता नहीं चल सका है"। तो इन तीन अखबारों का जिक्र करने के बाद मैं समझता हूं कि मंत्री जी के सामने एक खुली तस्वीर आयी होगी। उनको क्या करना चाहिये, स्वयं उन के विवेक ने उन से कहा होगा। मैं तो मुख्तसर में चन्द सवाल इन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे पास बिहार का 10 अप्रैल का "आर्यावर्त" अखबार है, उस के पृष्ठ 5 के ऊपर 6 जगह आग लगने की घटनाओं का जिक्र किया गया है :

"अग्निकाण्ड में कई परिवार गृह विहिन बने"। "खलिहान में आग लगने से दो सौ मन गेहूं जला"। "विधवा का पुत्र जल कर मरा, भीषण अग्निकांडों में सैकड़ों घर जले"। "15 हजार की किताबें जलीं"। "16 मवेशी जले"। "सवासो से अधिक घर जले"। "साधू की झोंपड़ी जली"। इन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से कहना चाहता हू कि आग अधिकतर आदिवासियों और हरिजनों के घरों में ही लगा करती है। ऐसा क्यों है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिये।

जहां तक इस घटना का संबंध है जिस की ओर मैं ने ध्यान आकृष्ट किया है मैं जानना चाहूंगा कि वस्तु स्थिति और तथ्य क्या है। क्या सचमुच एक युवती के साथ बलात्कार को लेकर यह घटना हुई और हरिजनों द्वारा विरोध करने पर लोगों ने आग लगाई, जैसा कि समाचार-पत्रों में आया है? या यह प्राकृतिक रूप से घटना हुई थी?

एक बात और कहना चाहता हू कि जिस इलाके में यह आग लगने की घटना हुई है उस के प्रतिनिधि संसद् सदस्य यहां नही है श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, जो अब बिहार राज्य मे मंत्री बन गये हैं। मेरे क्षेत्र के बगल में ही उन का क्षेत्र है। वहां पर यह दुर्घटना उस समय हुई है जबकि वे शपथ-ग्रहण करने की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं सरकार से जानना चाहता हू कि क्या इस घटना का संबंध बहुत पहले से चली आ रही कोई लड़ाई से था या नही था?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से अब तक कितने की आर्थिक सहायता उन को मिली है?

तीसरी बात यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फूस और खर से बने मकानों में इस तरह के अग्निकांड बहुत अधिक होते हैं। तो क्या सरकार इस तरह की कोई योजना बनाएगी कि जिन हरिजनों और आदिवासियों के मकान खर और फूस में छाए होने के कारण हर साल जल जाते हैं, उन को खपरैल से छाने की कोई व्यवस्था हो सके

चौथी बात यह है कि क्या राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने इस क्षेत्र में भ्रमण किया, मायना किया और जा कर जांच की है ?

पांचवी बात यह है कि क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों के समान देहाती क्षेत्रों में भी दमकल सेवा की व्यवस्था प्रारम्भ करने का है जिस से आग-लगी की कोई घटना हो जाए, तो वहां पर लोगों को रिलीफ मिल जाए।

और अन्त में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस तरह की कोई फीगर है कि प्रतिवर्ष इस तरह के अग्निकाण्डों की घटनाओं में, म केवल बिहार के बारे में जानना चाहता हूं, कितने घर स्वाहा होते है और कितने लोग घर-विहीन हो जाया करते हैं और क्या सरकार इन बातों को मुद्देनजर रखते हुए कोई स्थायी समाधान निकालने का विचार रखती है ?

SHRI F. H. MOHSIN : It is true that we do not have much information about this incident. But whatever information we have got from the Bihar Government supports the view that it was an a accidental fire, not a fire which was intentional.

MR. SPEAKER : He has asked about Navada district. Here you have given information about something else.

SHRI F. H. MOHSIN : Bhatia also is in Navada district. In the news item that has appeared in the *Indian Nation* dated 10-4-75 it is stated :

> "A Nawada report said that two ladies were burnt alive in village Bhatia under Gobindpur police station yesterday. Besides three animals also died."

According to the information given by Bihar Government, it was an accidental fire and because of a westerly wind, the fire spread to other areas also. Additional news has come just now stating that along with 2 Harijan women who were burnt alive, three heads of cattle were also burnt. I do not have the information stating that there were deaths of 3 children also. But we will make further enquiries and supply it to the hon. member.

We do not have the detailed information about the relief given to these people who have suffered, but we have asked the State Government to give adequate relief for those persons who have been victims of this fire. He was stressing the point that it was not an accidental fire but it was an intentional fire.

श्री रामधन (लालगंज) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उन मेम्बरों में से हूं जो कभी खड़े नहीं होते हैं।***

MR. SPEAKER : I have not called him. It will not go on record unless he sits down.

आप को रुल का पता नहीं है।

श्री राम धन : ***

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से प्वाइंट आफ आर्डर के रास्ते आने लगे तो, आम इजाजत दिया करुंगा। आप सोच लिजिये I will have to allow them all. I will not listen to your Minister or somebody else. अब आप बैठ जाइए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : पूछने दीजिए बड़ा भला आदमी है।

अध्यक्ष महोदय : आप भी तो बड़े भले है।

SHRI F. H. MOHSIN : The hon. Member has referred to the news item in 'Nav Bharat Times' and 'Aryavart. Certainly, we will bring this to the notice of the Bihar Government and get the information from them. Further information will be secured from Bihar Government and will be intimated to the Member about relief and other matters connected with this incident.

श्री शंकर दयाल सिंह : सरकार की ओरस कोई उत्तर नहीं आया। मैं चाहता हूं कि आपकी हमें प्रोटेक्शन मिले। मैं ने कहा था कि मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है वह नव

***Not recorded.

[श्री शंकर दयाल सिंह]

भारत टाइम्स की खबर पर बैस था और इन्होंने इण्डियन नेशन की खबर का हवाला दिया है। मैं ने उस को पढ़ कर सुनाया था और दूसरी बात यह है कि मैं ने सरकार से यह पूछा था कि अभी तक रिलिफ लोगों को नहीं मिला है, उस के बारे में क्या स्थिति है और इस के अलावा मैंने कहा था कि उन के मकान खैर और फूस से बने होने के कारण जल जाते हैं, तो उन को खपरे से छाने के बारे में सरकार का क्या विचार है ? क्या सरकार उन को इस के लिये आर्थिक मदद करेगी ? सरकार के पास इस बार में कोई इन्फार्मेशन न हो, तो यह बड़े दुख की बात है।

अध्यक्ष महोदय : शंकर दयाल जी, अगर वे एक्सीडेंटली जल गये, तो क्या इस को 'जलाय गये' बनाना जरुरी है।

श्री शंकर दयाल सिंह : अब तो वहां पर नई और अच्छी सक्षम सरकार आई है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक्सीडेंटल है, तो इस में क्या करें। जहां तक दूसरी बात का सवाल है, उन्होंने कहा है कि बिहार गवर्नमेंट से कहेंगे।

श्री चन्द्र शेखरानी (हाथरस) : हमारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं भाई शंकर दयाल सिंह जी से बिल्कुल ही सहमत हूं कि हमारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मंत्री जी के उत्तर से कोई संबंध नहीं है जैसा कि अखबार में कुछ दिन पहले यह खबर छपी है कि बिहार के नवादा जिले के एक गांव में शेड्यूल्ड कास्टस के लोगों के 60 घर जल कर भस्म कर दिये गये और उसी आग में उन के तीन मासूम बच्चों को फेंक दिया गया जिस से वे आग की भेंट चढ़ गये और यह खबर इस बात पर हुई कि वहां के एक सुवर्ण युवक ने वहां की एक अछूत युवती के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की और जब वह चिल्लाई तो अछूत कहे जाने वाले लोग वहां पर कुछ इकट्ठा हुए और उन्होंने इस का विरोध किया। तब उस सुवर्ण जाति के युवक ने बन्दूकें दिखाकर उन को डराया, धमकाया और उनके घरों में आग लगा दी और उन के तीन बच्चों को लोगो ने इकट्ठा हो कर आग की भेंट चढ़ा दिया। यही नहीं उन के करीब 25 पशु भी इस में जल गये और करीब 10 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गये और इस तरह के 60 घरों के जलने का मतलब यह है कि करीब 200 लोग बेघरबार हो गये, खाने पीने की समस्त चीजें जल गई और वहा पर उन का सारा सामान जल गया और उन के सामने खानाबदोश की जिन्दगी पैदा हो गई है।

अध्यक्ष जी, मेरा केवल इसी घटना से मतलब नहीं है। अभी हम देख यह रहे है कि इस तरह के अत्याचार देश के विभिन्न कोनों में हो रहे हैं। कहीं पर उन को शेड्यूल्ड कास्टस के लोगो को, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड के लोगों को बड़े बड़े जमीदार गोलियों से भून देते हैं, कहीं पर उन के नौजवानों को पेड़ पर टांग कर मार दिया जाता है, कहीं पर उन की लड़कियों की अस्मत लूटी जाती कहीं पर उन के गुप्तांगों गर्म कर सलाखें डाल दी जाती हैं और कहीं पर उन को नंगा कर के हेल्मट लगाया जाता है। इस तरह की घटनाएं हम पिछले कुछ दिनों से इस देश में देख रहे हैं और मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि हमारी सरकार अभी तक यह पता नहीं लगा पाई कि इन तमाम अत्याचारों के पीछे वे कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी ताकतें हैं जिन की वजह से ये अत्याचार हो रहे हैं और आज अध्यक्ष जी, इस पवित्र सदन में मैं यह कहे बगैर नहीं रहूंगा, मैं कहना यह चाहता हूं जैसा कि मैं महसूस करता हूं

कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उन पर जो ये जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, उनके पीछे घोर प्रतिक्रियावादी, घोर साम्प्रदायिक दकयानूसी विचारधारा के लोग हैं। ये अत्याचार तब से बढ़े हैं जब से इस देश की हमारी लोकतंत्रिय सरकार ने और विशेष रूप देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुड्यूल्ड कास्ट के लोगों की उन्नति का, उनके विकास का अभियान तेज किया है और उनको देश के दूसरे लोगों के समान स्तर पर लाने के कार्यक्रमों को हाथ में लिया है। इससे जो शक्तियां हैं ये भौखला उठी हैं और उन्होंने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। सरकार को पता लगाना चाहिये कि क्या इन अत्याचारों के पीछे कोई विदेशी ताकतें तो नही हैं, क्या इनके पीछे सी आईए का हाथ तो नहीं है, क्या देश की जो घोर साम्प्रदायिक ताकतें हैं, संगठन हैं जैसे आनन्द मार्गी हैं, और आर० एस० एस० है या उनकी जैसी मनोवृत्ति के लोग हैं वे तो नही हैं ? अगर हैं तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिये। इस तरह के लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ, पिछड़े हुए लोगों के साथ, शोषित वर्ग के लोगों के साथ, सर्वहारा वर्ग के लोगों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड करने की इजाजत नही दी जा सकती ..

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हरिजनों को अत्याचारों की बात हो रही है और इस में आर एस० एस० नाम घसीटने को क्या जरुरत है ? जब कभी माननीय सदस्य मुहं खोलते हैं तभी कुछ न कुछ बेतुकी बात कह देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बाधक में पड़ गए हैं। आप प्रश्न करिये।

श्री चन्द्र शेखानी : यह समस्या बहुत गम्भीर है। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। क्या कारण है को इस तरह की घटनाएं हो रही है ? इस घटना से साठ परिवारों के लोग दो सौ के करीब जिन की गिनती है प्रभावित हुए हैं, बेघरबार हुए है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया है, उनके खाने पीने की आपने क्या व्यवस्था की है झोपडियों दुबारा डालने के लिए आपने क्या कोई मदद उनको दी है, उनको रोजी रोटी के लिए कोई मदद दी है ? पच्चीस पशु जले हैं उनको खरीदने के लिए सरकार ने उनको कोई मदद दी है ? अगर नही दी है और कोई विशेष कदम नही उठाया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस दिशा में कदम उठाएं।

मैं हमेशा से इस सदन में मांग करता आया हूं और आज फिर करना चाहता हूं कि चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट्स की समस्याएं बहुत गम्भीर हैं और सरकार जबकि मामूली से मामूली कामों के लिए अलग से मंत्रालय खोलती है तो इनके लिए अलग से मंत्रालय क्यों नही खोला जाता है ? इस मंत्रालय का विशेष दायित्व हो कि पता लगाए कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर अत्याचार क्यों होते हैं और उनको दूर करने के लिए कदम उठाये, उनको सामाजिक, आर्थिक मानसिक जो, स्थिति है उसका अध्ययन करे और उसको सुधारने के उपाय करे।

मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि इस घटना विशेष का विवरण जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए और उसको सदन के सामने रखा जाए।

SHRI F. H. MOHSIN : As I have already said, we have no information about the intentional atrocities committed on the the harijans in Navda district, as reported to us by the Bihar Government We will certainly got more information on the points raised by the hon. Member and the news item appeared in the *Nava bharat Times* and *Arya Vrita* It is true that incidents of atrocities on hari-

[Shri F. H. Mohsin]

jans is increasing in some of the States, while it is relatively low in some other States. It is higher in States like UP, Madhya Pradesh, Kerala, Gujerat, Maharashtra, Bihar and Andhra Pradesh. The total number of cases of atrocities has risen from 2,735 in 1971 to 3,141 in 1972 and 3, 736 in 1973.

In Bihar, on the other hand, there is an increase in the number of cases reported about atrocities on Harijans. In 1971 the number of cases was 65, in 1972 it was 71, in 1973 it was 118 and in 1974 it was 142. Whoever may be behind these atrocities, the incidents will have to be condemned. But it is very unforunate that in spite of the efforts of the Government and also of some social organisations, these incidents of atrocities on Harijans are increasing. It is really a matter of concern to us and various steps have been taken by the Government to see that they are properly registered and the people who are committing the offences are brought to book.

One of the suggestions we have made to the State Governments is the constitution of committees at the State level including senior officials to devote special attention to the task of improving administrative responsibility in the registration, investigation and prosecution of the offences under the Untouchability Offences Act and to denise methods of better enforcement. Such Committees have already been formed in Andhra Pradesh, Delhi, Gujarat, Assam, Tamil Nadu, Jammu & Kashmir, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Punjab, Haryana, Rajasthan, Goa, Diu & Daman, Tripura, Pondicherry and Dadra and Nagar Haveli. Special cells and committees also to look into the grievances of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to review the position in regard to employment of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been set up directly under the respective Chief Ministers in Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal. In U. P. a special cell has been set up under the charge of the D. I. G. of Police to undertake investigation into complaints involving offences against members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to initiate action according to law. In Gujarat a special cell has been set up under two police officers in Rajkot and Baroda to investigate into serious complaints of atrocities against Harijans and other minorities.

The Untouchability Offences (Amendment) Bill is also before Parliament. It seeks to ensure better implement the provisions of the Act, These are the various measures that we have undertaken.

MR. SPEAKER : The question is about a particular incident, and your reply said that it was an accidental one, and now you are giving this long list. After all, there should be some relevance to the issue. Now you have made it into a debate. Why not have a debate specially for that? Why should the debate arise out of this calling Attention where you say it was an accidental fire ?

SHRI F. H. MOHSIN : The Member was referring to other atrocities also, and that is why I had to give the information. As regards this incident, it has been reported to be an accident by the State Government. We have instructed the Bihar Government to investigate into the matter sufficiently.

श्री हरि सिंह (खुजौ) : हरिजनों पर तरह तरह के प्रतिदिन कुछ न कुछ अत्याचार होते रहते हैं और अत्याचार भी ऐसे जिन को पढ़ तथा सुन कर अत्याचार करने वाले समाज के खिलाफ आत्मा विद्रोह कर उठती है । अत्याचार को पढ़ और सुनं चुकने के बाद भी इन अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए जिन हरिजनों के बाजुओं में ताकत भी होती है वे भी उस ताकत का इस्तेमाल न कर इनको सहन कर लेते हैं, जो उनके दिल में बगावत उठती है उसको दबा देते हैं इस वास्ते कि कहीं हिन्दुस्तान की तसवीर को, उसके नक्शे को चोट न पहुंचे सत्य, अहिंसा और सहअस्तित्व के सिध्दान्त को ठेस न पहुंचे। इन भावनाओं के वशीभूत हो कर खामोशी के साथ हरिजनों पर जो अत्याचार होते है उनको हरिजन सहन करते रहते है और कुछ कर नहीं पाते हैं। जहां तक इस विशेष घटना का सम्बन्ध है, या उन जुल्मों का सवाल है या दूसरी इस तरह की घटनाओं का सम्बन्ध है, इनसे छुटकार

पाने के लिये हमें नियम बद्ध काम करने की जरूरत है सरकार को नई स्कीम लागू करनी होगी। जिस घटना से कालिंग स्टेंशन का सम्बन्ध है वह नवभारत टाइम्ज में प्रकाशित हुई है। एक हरिजन महिला के रेप के उपरान्त यह सारी वारदात हुई है जिस में घरों को जलाया गया, बच्चा को जलाई गया, पच्चीस आदमियो को चोट पहुंचाई गई और सारा सामान,खाने पीने का सामान आग लगाकर बरबाद कर दिया गया। यह एक्सीडेंटल फायर नही थी। यह संगठित होकर किया गया अन्याय है। नव भारत टाइम्ज दिल्ली का अखबार है और इस में छपे समाचारो पर बहुत यकीन किया जाता है, जो तथ्य उन समाचारों मे होते हैं उन पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाता है।

यह सरकारी मशीन, इस तरह के अत्याचारों को भी अपनी जगलरी मे फंसाकर सच से दूर रखना चाहती है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हु कि अगर आपको सदन मे आना है तो सबसे पहले जो दिल्ली के अखबार है, कम-से-कम उनके बारे मे भी जानकारी रखन चाहिए। हम बात कर रहे है। फरा गाव की, समोर गाव की और बता रहें हैं गोविन्दगढ की। यह डिस्क्रीपेंसी है, मालूम पड़ता है कि सरकार की इस बारे में कोई दिलचस्पी नही है। इस मौके पर मैं सारे अत्याचारों के बारे में तफसील मे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मै कुछ मश्विरा रखना चाहता हूं।

प्रत्येक स्टेट में एक स्पेशल आई० जी० होना चाहिये जिसका सम्बन्ध जिले में तहसील थाने से लेकर स्टेट लेवल तक होना चाहिये उसकी स्पेशल ड्यूटी यही होनी चाहिये कि वीकर सेक्शन्स, शेड्यूलड कास्ट्स और ट्राइबस पर हुए अत्याचारों की देखभाल करे। उनके केसेज को अपने हाथ में ले। क्योंकि जनरल पुलिस के पास उनके लिये कोई वक्त नहीं है। तफसील पाने के बाद भी कि अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जनरल पुलिस इस बारे में कोई दिलचस्पी नही रखती है। मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वह सीधा आर्डर करे कि स्टेट-लेवल पर इस काम के लिये एक अलग आई० जी० होना चाहिये और उसको इस काम में सहायता देनी चाहिये केन्द्रीय खजाने से।

आप जानते है कि हरिजन पर जो अत्याचार होते है उसके पीछे एक मुख्य पृष्ठ भूमि यह भी है कि जो हरिजन वर्ग है, उसका कोई आदमी ही किसी विभाग में होता है वरना सारे विभाग आदि से अन्त तक एक भी हरिजन कर्मचारी नहीं रखते हैं। मेरी मांग है कि हमारे शेड्यूलड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स का आबादी के हिसाब से सरकारी विभागो में जो कोटा है वह पूरा होना चाहिये जब हर महकमें में हरिजन कर्मचारी और अधिकारीगण हो जायगे तो वह एक शील्ड, ढाल का काम करेंगे। सरकार तथ्यों को छिपा नही पायेगी और सताने वाली जनता भी ज्यादा अत्याचार करने में घबराएगी। मैं कहना चाहता हूं कि आबादी के हिसाब मे जो हमारी रिजर्व्ड सीटें है, वह हर विभाग मे जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहियें।

हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं, उसके मुख्य कारण यह है कि आज भी हिन्दुस्तान का हरिजन और आदिवासी इकनामिक स्लेव है। वह आर्थिक तौर पर खडा नही हो सकता है। उसको जुल्म सहना पड़ता है, गर्दन झुकानी पड़ती है, कटानी पड़ती है चन्द रोटी के लिय और कपड़े के लिये और 200 गज जमीन के लिये जिस पर कि वह अपना मकान बनाना चाहता है।

मैं आपसे कहना चाहता हू कि अगर सरकार सचमुच में हरिजनों की समस्या का निपटारा करना चाहती है तो सरकार को टाइम बाउन्ड कार्यक्रम बनाकर सब को जमीन देनी चाहिये। आमदनी के जितने भी साधन हैं, एजेन्सी, लाइसेन्स और परमिट वगैरा सरकार को

[श्री हरी सिंह]

खुले हाथों से हरिजनों को देना चाहिये ताकि वह अपना आर्थिक ढांचा ठीक कर सकें। आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मेरा यह भी सुझाव है कि हर जिलें में एक हरिजन कमेटी होनी चाहिये जिसका सीधा सम्पर्क वहां के जिलाधीश और एस० पी० से होना चाहिये। वहां के जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं, हरिजन एम० एल० ए० और एम० पी० हैं, उस कमेटी के सदस्य होने चाहियें। उनके साथ साथ सार्वजनिक कार्यकर्तओं को भी उसमें रखना चाहिये। जिले स्तर पर यह कमेटी हरिजनों पर हुए अत्याचारों, जमीन के बटवारे और हरिजनों के उत्थान के कार्यक्रमों का मासिक जायजा लेती रहे।

अगर सरकार मेरे इन मशिवरों पर गंभीरता से विचार करेगी तो इस समस्या के निपटारे में सहायता मिलेगी, और हरिजनों को शान्तिसे रहने में सहायता मिलेगी। ऊच नीच का भूत भी कमजोर होगा।

SHRI F. H. MOHSIN: I am in agreement with some of the suggestions made by the hon. Member. In some of the States, special cells are being set up by the State Governments to investigate into the complaints made by the SC& ST people about the atrocities committed against them. So far as appointment of officers who are to investigate into the matter is concerned, it is to be determined by the State Government itself. It may be difficult for us to state that IG only should be entrusted with this investigaton work. There are many States where this work has already begun and they are investigating into the matter promptly. Where some police Officers have been found guilty or lethargic, serious action has been taken against them. As far as eradication of untouchability is concerned, it is true that at all levels this offence will have to be attended to with the utmost importance. It is also true that it cannot be done by the Government officials and the legislation only but it would require the sympathetic cooperation of the social workers at all levels of the country to see that they are not discriminated against and no atrocities are committed against them in future. I would welcome the co-opeation of all the political parties and their political workers in this behalf.

Whatever information we have got, we have given you. As soon as we get further information from the Bihar Government we will supply that information to the hon. Members.

SOME HON. MEMBR—ROSE

SHRI SAMAR MUKHERJEE : (Howrah) We have given notices under 377...

MR. SPEAKER: So many of them came under 377. I admitted one.

SHRI S. M. BANERJEE ; (Kanpur) I want to make only a submission.

MR. SPEAKER: Not at this stage You see what is the order of Business and at what stage notice under 377 will come I have allowed one.

12.45 hrs

ARREST OF MEMBER

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received the following wireless message dated the 14th April 1975, from S.D.J., Lucknow:

"Shri Mahadeepak Singh Shakya, Member of Parliament, admitted in District Jail, Lucknow, on 14-4-1975 at 18.32 hours, u/s 151 /107/116 (3) Cr. P.C. P.S. Hazratganj, Lucknow, by the Court of Additional City Magistrate , Lucknow and remanded upto 26-4-75.

ESTIMATES COMMITTEE

SEVENTIETH AND SEVENTY FIRST REPORT

SHRI R. K. SINHA (Faizabad) : I beg to present the following Reports of the Estimates Committee:

(1) Seventieth Report on Action Taken by Government on the Recommendations contained in their Fiftieth Report on the Ministryof Industries Development-Industrial Licensing